न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0–3/गैंगस्टर एक्ट,गोरखपुर।
जी0टी0 नं0:————————————————106/2007
सरकार :————बनाम————: विवेक सिंह।

<u>दिनांक 03–04–2023</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण विवेक सिंह, विनय पाण्डेय व शैलेश यादव की ओर से गैंर हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ, जो आज के लिए स्वीकृत हुआ। पत्रावली अभियुक्त विवेक सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 19ख अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 पर आदेश हेतु नियत है। पूर्व नियत तिथि पर पक्षकारों को सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र 19ख प्रार्थी/अभियुक्त विवेक सिंह की ओर से धारा 227 दं0प्र0सं0 के तहत इस आशय का दिया गया है कि वह पूर्णतया निर्दोष है। मामले से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक फर्जी व बनावटी है। उसे काल्पनिक तौर पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0सं0 का कोई अपराध गठित नहीं होता है, क्योंकि प्रार्थी के समर्पण के बाद पुलिस कस्टडी रिमाण्ड के दौरान उसके पास या उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल/देशी बन्दूक बरामद नहीं हुई है और न ही वह मौके से गिरफ्तार हुआ है। मृतक के अलावा कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, जिस कारण धारा 307 भा0दं0सं0 के आरोप से उन्मोचित किया जाना न्यायसंगत है और न ही उसके विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध गठित होता है। प्रार्थी का कोई भी भय व आतंक व्याप्त नहीं है और नही मौके पर कोई भगदड़ मची थी। प्रार्थी का न तो कोई संगठित गिरोह है और न ही आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु उसने कोई अपराध किया है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे स्पष्ट हो कि प्रार्थी का कोई गिरोह है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा आरोपपत्र में वर्णित अपराध अंतर्गत धारा 307, 504 भा0दं0सं0, 7 सी0एल0ए0एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट व 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अपराध से उन्मोचित किए जाने की याचना की गई।

उक्त के विरूद्ध राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि विवेचक द्वारा मामले में आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य संकलित किए गये हैं। पत्रावली के विचारण में विलम्ब कारित करने के लिए उपरोक्त उन्मोचन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र को निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने की याचना की गई।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों व केस डायरी का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध लिखित तहरीर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई है। मामला दिन दहाड़े हत्या के अपराध से संबंधित है। बाद विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर धारा 302, 307, 504 भा0दं0सं0, 7 सी0एल0ए0एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट व 3(1)

गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने व उनके आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए उक्त अपराध किया गया है। एक अपराध के आधार पर भी गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही किए जाने का प्राविधान है। जहां तक प्रश्नगत घटना में मृतक के अलावा अन्य किसी के घायल न होने की बात है, धारा 307 भा0दं0सं0 के तहत हत्या के प्रयास हेतु किसी व्यक्ति को चोट आना आवश्यक नहीं है।

अभियुक्त की ओर से यह भी कथन किया गया है कि पत्रावली पर अभी तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या नहीं है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि माल मुकदमाती परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किए जाने संबंधी प्रपत्र पत्रावली में संलग्न हैं। जिसकी विश्लेषण आख्या आना शेष हैं, जो दोरान विचारण उपलब्ध हो जाएगी।

विधि व्यवस्था **प्रभूनाथ यादव बनाम उ0प्र0 राज्य 2008(60) ए सी सी 59 इलाहाबाद** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि आरोप मात्र मजबूत सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। इसी प्रकार ओंकारनाथ मिश्रा बनाम स्टेट**(एन सी टी दिल्ली) एवं अन्य 2008(1) क्रि0सी0एस0सी0(544) एस0सी0** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि आरोप के स्तर पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रमाणित मूल्य की गहन जांच करना प्रत्याशित नहीं है।

माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में आरोप विरचित किये जाने के लिये मात्र यह देखा जाना होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। आरोप विरचित किए जाते समय न्यायालय मिनी ट्रायल नहीं करेगा और साक्ष्य का मूल्यांकन मामले के अन्तिम निस्तारण की भांति नहीं करेगा।

इस स्तर पर पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त विवेक सिंह व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 307, 504 भा0दं0सं0, 7 सी0एल0ए0एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट व 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, तदनुसार खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विवेक सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 19ख अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते विरचित किये जाने आरोप दिनांक 12–04–2023 को पेश हो। सभी अभियुक्तगण नियत तिथि को उपस्थित हों।

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0–3/
गैंगस्टर एक्ट, गोरखपुर।

Digitally signed by SUBODH VARSHNEY
Date: 2023.04.04 16:16:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court